न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 113/2018 दायर दिनाँक 09.04.2018

वादी		प्रतिवादी
1. उम्मेदखाँ पुत्र मम्दूखाँ, उम्र–80साल, जाति–कायमखानी, निवासी–भाकरों का बास, खारिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136, L.R. Act.

उपस्थितः–

1. वादी उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 26.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में, वक्त वाद पेशगी के, इस प्रकार है कि, शरहद मौजा खारिया के खसरा नम्बर 143 रकबा 16.17 बीघा व खसरा नम्बर 152 रकबा 04.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 256 रकबा 12.08 बीघा भूमि अवस्थित है जो कि, वादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी पेश है।

वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम सहवन से "महमूदखाँ" दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् में वादी के पिता का नाम "मम्दूखाँ" दर्ज है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी आपने पिता का नाम "महमूदखाँ" के स्थान पर "मम्मदूखाँ" दुरस्त करवाना चाहता है, यही अनुतोष वादी है।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 113/2018
दायर दिनाँक 09.04.2018, निर्णय दिनाँक 26.06.2018
उम्मेदखाँ बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी, भारत चुनाव द्वारा जारी पहचान–पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन–कार्ड की छायाप्रति, भारत सरकार/आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व लोक अदालत, कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा में प्रकरण पेश हुआ। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया। प्रतिवादी की वाद में अनापत्ति होना वादी द्वारा जाहिर किया गया। वादग्रस्त खसरान् की भूमियों के वादी केअतिरिक्त सहखातेदारान् को वाद में पक्षकारान् नहीं बनाया गया है इसलिए वाद के सम्बन्ध में मजमें आम में जानकारी ली गयी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य वादी का अवलोकन किया गया। अनुतोष वादी पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के पिता का नाम "महमूदखाँ" को "मम्दूखाँ" दुरस्त किया जाना ठीक है।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी सहखातेदार है। ऐसी स्थित में, मजमें आम में प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्य वादी का अवलोकन करने के बाद वादग्रस्त शरहद मौजा खारिया के खसरा नम्बर 143 रकबा 16.17 बीघा व खसरा नम्बर 152 रकबा 04.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 256 रकबा 12.08 बीघा भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 113/2018
दायर दिनाँक 09.04.2018, निर्णय दिनाँक 26.06.2018
उम्मेदखाँ बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

में दर्ज वादी के पिता का नाम "महमूदखा" को "मम्दूखाँ" दुरस्त करते हुए, "उम्मेदखाँ पुत्र महमूदखाँ" के स्थान पर "उम्मेदखाँ पुत्र महमूदखाँ उर्फ मम्दूखाँ" दुरस्त किया जाना अज अदालत को मुताबिक जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन वाद, वादी के हक में डिक्री सादिर किया जाता है।

—:: आदेश ::—

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **खारिया** में खसरा नम्बर 143 रकबा 16.17 बीघा व खसरा नम्बर 152 रकबा 04.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 256 रकबा 12.08 बीघा भूमियों के वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज वादी/वादीगणं के पिता का नाम "महमूदखाँ" के स्थान पर "महमूदखाँ उर्फ मम्दूखाँ" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी **डीडवाना**
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

निर्णय, आज दिनाँक **26.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी **डीडवाना**
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : श्री **उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **113/2018** | दायर दिनाँक **09.04.2018**

वादी		प्रतिवादी
1. उम्मेदखाँ पुत्र मम्दूखाँ, उम्र–80साल, जाति–कायमखानी, निवासी–भाकरों का बास, खारिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136, **L.R. Act.**

दिनाँक **26.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित **वादी** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **खारिया** में खसरा नम्बर 143 रकबा 16.17 बीघा व खसरा नम्बर 152 रकबा 04.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 256 रकबा 12.08 बीघा भूमियों के वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज वादी/वादीगण के पिता का नाम "महमूदखाँ" के स्थान पर "महमूदखाँ उर्फ मम्दूखाँ" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **26.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	—		महनताना वकील		
सबूत	—		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—दीनदारपुरा

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–113–2018 / रीडर / 2018 /   दिनाँक 26.06.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136, L.R. Act.

वादी		प्रतिवादी
1. उम्मेदखाँ पुत्र मम्दूखाँ, उम्र–80साल, जाति–कायमखानी, निवासी–भाकरों का बास, खारिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

Scanned by CamScanner